

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(473)एम.ई./गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक :


7 FEB 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./गुप-1/1996 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा डॉ० विजय लक्ष्मी मीणा (मेरिट क्रमांक 115/अजजा., जन्म तिथि 27.10.1982) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ० मीणा को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज बीकानेर के पत्रांक एफ. 128(स्था.राज.) सपआम/578 दिनांक 19.12.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ० विजय लक्ष्मी मीणा ने दिनांक 19.12.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को और ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० मीणा उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ० विजय लक्ष्मी मीणा के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./गुप-1/1996 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013-14/771 दिनांक 06.10.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/193 दिनांक 12.07.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
4. डॉ० विजय लक्ष्मी मीणा पत्नी डॉ० मोहित कुमार मीणा, C/o डॉ० मोहन लाल मीणा, डॉक्टर कॉलोनी, वार्ड नं. 14 पिलानी रोड सादुलपुर, जिला-चुरू-331023(राज.)। रजिस्टर्ड डाक से
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(सुरेन्द्र सिंह)
अनुभागाधिकारी